

प्रेस नोट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 03.07.2022

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने एवं जनपद में हो रहे अन्य अपहरण के खुलासे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद गोरखपुर के थाना कैम्पियरगंज में पंजीकृत मु.अ.सं. 455/21 धारा 363,366,452,506,376 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कैम्पियरगंज रंजीत सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर दिनांक 03.07.2022 को मुखवीर की सूचना पर थाना क्षेत्र कैम्पियरगंज के करमैनी बाजार के पास से अभियुक्त 1.पहाड़ी उर्फ रामभजन पुत्र रामचन्द्र केवट निवासी जनकपुर टोला करतहरी थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त-

1. पहाड़ी उर्फ रामभजन पुत्र रामचन्द्र केवट निवासी जनकपुर टोला करतहरी थाना कैम्पियरगंज गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण

- 1.मु.अ.सं. 455/21 धारा 363,366,452,506,376 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

करमैनी बाजार के पास दिनांक 03.07.2022, समय 13.00 बजे

गिरफ्तारी करने वाली टीम

- 1.उनि0 कमलेन्द्र सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर
- 2.उनि0 मधुरेश त्रिवेदी थाना कैम्पियरगंज, जनपद गोरखपुर
- 3.का0 अभय प्रताप सिंह थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर